

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी:- रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.- 108/2019 दायरा दिनांक :-20.05.2019 निर्णय दिनांक :- 07.04.2021

1. ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

.....वादी

बनाम

1. मामचन्द पुत्र भोलूराम
2. बब्लू उर्फ सुभाष पुत्र भोलूराम
3. भोलूराम पुत्र गुलबा जातिया जाट निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

.....प्रतिवादीगण


दावा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

:- पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री सरजीत सिंह चौधरी एडवोकट की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की ओर श्री श्रीपाल चौधरी एडवोकट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 07.04.2021 को श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है:-

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के आराजी खसरा नम्बर 958/0.32 है0 वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बावत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी को हु0 ई0 दवामी से सदैव - सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी की डोल को मिस्मार कर जवरन कब्जा नही करे, पाबन्द रहे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0
मुण्डावर (अलवर)



किस्म

मुकदमा नं०

दिनांक

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नया एव तारीख अहकाम जो हुम हुकम को नामों में जारी हुए

क्रिया करता है कि व उक्त विवाह के अंतर्गत जो डील
 को विभाजन के अंतर्गत बचना नहीं है वाक्य है।
 पत्रावली में लाल कुशा (दादा उका) अपनी डिग्री कमी
 है। नमूने के अंतर्गत काउन्सिलरी जज को
 जिला लेवल जज है। कुशा पापा

अप ह
 7/4/21

उपरखण्डाधिकारी
 मुण्डावर (अलवर)